

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट )

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० २२-५-१८

फैसल दि० २२-५-१८


श्री राजेन्द्र  
.....  
(वादी)

अनवान  
बनाम

भूमिधारी वटवैल्पाट  
सागवाडा  
.....  
(प्रतिवादी)

वादी श्री राजेन्द्र ने वाद प्रस्तुत कर मोजा वटवैल्पाट के खाता नम्बर 57 जमाबन्दी सं० 2073-76 में अंकित स्वयं/पिता का नाम राजेन्द्र गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कूर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम राजेन्द्र दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है । प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम राजेन्द्र होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा वटवैल्पाट की जमाबन्दी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 57 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम राजेन्द्र में संशोधन कर सही नाम राजेन्द्र दर्ज रेकार्ड किया जावे । निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा